उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों का चिंतन (1952–1965)

Dr. Sudheer Singh,
Ayodhya, Uttar Pradesh

लोकतंत्र और जाति व्यवस्था दोनों विरोधाभासी हैं क्योंकि लोकतंत्र समानता पर आधारित है जबकि जाति व्यवस्था पदानुक्रम और असमानता पर आधारित है, उत्तर प्रदेश में 1937 में प्रान्तीय विधानसभा के चुनाव हुए और प्रान्तों को 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्तता प्राप्त हुई।[1] पहली बार गोविन्द बल्लभ पन्त संयुक्त प्रान्त के प्रीमीयर चुने गये, उत्तर प्रदेश में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो गयी यद्यपि अभी सभी नागरिकों को मताधिकार नहीं प्राप्त था। लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद भी जातियों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि लोकतंत्र में भी जाति व्यवस्था कमजोर होने के स्थान पर ज्यादा प्रभावशाली हो गयी।

कॉंग्रेस आजादी से पहले एक राजनीतिक दल की अपेक्षा एक आन्दोलन थी कॉंग्रेस का संगठन अलग अलग सामाजिक और आर्थिक समूहों से मिलकर बना था, कॉंग्रेस शहरी क्षेत्रों में व्यवसायी वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी।[2] जवाहर लाल नेहरू जैसे प्रमुख कॉंग्रेसी नेताओं ने ताल्लुकेदारों के खिलाफ किसान आन्दोलनों मे हिस्सा लिया। कॉंग्रेस का नेतृत्व मुख्यतया ब्राह्मणों एवं कायस्थों पर आश्रित था। 1937 के कॉंग्रेस मंत्रिमण्डल को ब्राह्मण मंत्रिमण्डल कहा जाता था। आजादी के बाद राजनीति में कई मुख्य बदलाव हुए, पहला कॉंग्रेस में विघटन शुरू हुआ जिससे नयें राजनीतिक दलों का उदय हुआ दूसरा पुरानी राजनीतिक पार्टियों जैसे राष्ट्रीय कृषक पार्टी तथा मुस्लिम लीग समाप्त हो गयी।[3] वयस्क मताधिकार, शिक्षा के विकास के कारण अब जाति समूह संगठित होने लगे यह जाति समूह अपनी माँग को पूरा कराने के लिए नेतृत्व विकसित करने लगे। आजादी के बाद कॉंग्रेस में व्यक्तिवाद और गुटबाजी प्रभावशाली हो गयी इसी आधार पर 1948 में कॉंग्रेस में विभाजन हुआ जब समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पार्टी छोड़ दिया, पार्टी में दूसरा संकट 1950–51 में पुरुषोत्तम दास टंडन के कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के मुद्दे पर हुआ, लेकिन 1952 के आम चुनाव में पार्टी की विजय ने पार्टी में गुटबंदी और विघटन को कम कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोविन्द बल्लभपन्त एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कॉंग्रेस का नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रूप से प्रभावी जातियों, मध्यम वर्ग और व्यापारियों से आया, जिला कॉंग्रेस कमेटियों में मुख्यतः प्रभावशाली जातियों का वर्चस्व था, जिसमें मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय शामिल थे पार्टी केवल इन जातियों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता था अतः पार्टी ने मुस्लिम और अनुसूचित जातियों का समर्थन प्राप्त किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉंग्रेस को ग्राम प्रधानों और प्रमुखों के माध्यम से समर्थन मिलता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने जाति, परम्परा के आधार पर मतदान किया, पार्टी ने अलग अलग जातियों का गठजोड़ बनाया जो प्रत्येक जिले में और निर्वाचन क्षेत्र में अलग–अलग होता था।[4]

उत्तर प्रदेश मे कई समाजवादी पार्टियाँ थी जिनमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी, 1962 में ये

सभी पार्टियाँ मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में बदल गयी, इस पार्टी का मुख्य आधार मुख्यतः कृषक पिछड़ी जातियाँ थी, पार्टी ने राजकीय सेवाओं और विधानसभा में पिछड़ी जाति के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण की माँग की।[5] सोशलिस्ट पार्टी को मुख्यतः यादव और कुर्मी जातियों से समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ दक्षिण पन्थी पार्टियाँ भी थी जैसे जनसंघ, हिन्दू महासभा और स्वतंत्र पार्टी। ये दक्षिण पंथी पार्टियाँ मुख्यतः व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्र के बड़े जमींदारों और ऊंची जातियों से समर्थन प्राप्त करती थी। रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित जातियों के उग्र आन्दोलन के रूप में स्थापित हुई, इस पार्टी को 1962 के चुनाव में 4 प्रतिशत मत और 8 सीटें प्राप्त हुई।[6] 1960 के दशक में बी.पी. मौर्या अलीगढ़ जिले में प्रभावशाली दलित नेता के रूप में उभरे। 1962 के चुनाव तक रिपब्लिकन पार्टी और उसका सहयोगी संगठन अनुसूचित जाति संघ कोई खास सफलता प्राप्त नहीं कर पाये, क्योंकि दलितों को काँग्रेस संरक्षण देती थी, और बदले में दलित काँग्रेस को मत देते थे। 1961 के हिन्दू मुस्लिम दंगों ने दलितों और मुसलमानों को एक मंच पर आने का मौका दिया रिपब्लिकन पार्टी ने मुसलमानो और जाटव को एक जुट किया और ऊंची जातियों पर वैचारिक हमला किया।[7]

उत्तर प्रदेश में 1937 से ही राजनीति में जाति की भूमिका स्पष्ट हो गयी, 1935 के अधिनियम के आधार पर करीब 14 प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ संयुक्त प्रान्त में कुल 228 विधान सभा कि सीटें थी जिसमें काँग्रेस को 134 सीट मुस्लिम लीग को 27 सीट निर्दलियों को 30 सीट अन्य छोटे दलों को 37 सीटे मिली।[8] काँग्रेस के मंत्रिमण्डल में सभी वर्गों को स्थान मिला लेकिन इसमें मुख्यतः उच्च जातियों का वर्चस्व था 1946 के चुनाव मे काँग्रेस को पुनः बहुमत मिला और गोविन्द बल्लभ पन्त के नेतृत्व में दूसरी बार मंत्रिमण्डल गठित किया गया इस मंत्रिमण्डल में कुल 26 मंत्री शामिल थे जिसमें मुख्यतः ऊंची जाति और मुस्लिम मंत्रियों का वर्चस्व था।[9] देश आजाद होने के बाद 1952 में विधान सभा का पहला आम चुनाव हुआ विधान सभा में कुल 430 सीटें थी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों काँग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ ने सभी सीटों पर जाति के आधार पर अपने उम्मीदवार घोषित किये, काँग्रेस को 47.9 प्रतिशत मत प्राप्त हुए और कुल 390 सीटों पर विजय प्राप्त हुई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 17.8 प्रतिशत मत और 20 सीटें प्राप्त हुई जबकि जनसंघ को 6.4 प्रतिशत मत और 4 सीटें मिली।[10] इस चुनाव में कांग्रेस को ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों का पूरा समर्थन मिला और अधिकाँश विधायक इन्ही जातियों से थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मुख्यतः पिछड़ी जातियों का समर्थन मिला। काँग्रेस की भूमि सुधार नीतियों के कारण अधिकाँश जमींदार पार्टी से असंतुष्ट थे, अतः इन्होंने काँग्रेस का विरोध किया। ब्राह्मण, मुस्लिम, और अनुसूचित जाति के मतदाता अपने हितों के आधार पर काँग्रेस से जुड़े जबकि बाकी जातियों के मतदाता अपने हितों के आधार पर विपक्ष से जुड़े गोविन्द बल्लभ पन्त के मंत्रिमण्डल में 25 सदस्यों में 6 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 8 अनुसूचित जाति, 3 क्षत्रिय और 1 कायस्थ शामिल थे।[11] काँग्रेस की इस नीति से पिछड़ी जातियाँ काँग्रेस के विरोध में एक जुट होने लगी।

1957 के चुनाव में काँग्रेस को 42.40 प्रतिशत मत और 286 सीटें मिली जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 14.50 प्रतिशत मत और 44 सीटें जबकि जनसंघ को 9.80 प्रतिशत मत तथा 17 सीटे मिली, काँग्रेस के मत प्रतिशत और सीटों की संख्या में कमी आयी जबकि जनसंघ का मत प्रतिशत और सीटें बढ़ गयी, सबसे उल्लेखनीय सफलता निर्दलीय और अन्य छोटे दलों को मिली जिन्हें 29.40 प्रतिशत मत एवं 74 सीटे प्राप्त हुई।[12] इस चुनाव में कुल 82 ब्राह्मण और 74 क्षत्रिय विधायक जीतें। काँग्रेस के 30 सदस्यीय

मंत्रिमण्डल मे 9 ब्राह्मण 4 मुस्लिम 3 क्षत्रिय और 3 अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल थे।[13] इस मंत्रिमण्डल में भी पिछड़ों को खास महत्व नहीं मिला पिछड़ी जाति के 4 सदस्यों को मंत्रिमण्डल में स्थान मिला। 2 जाट 1 कुर्मी और 1 यादव को मंत्रिमण्डल में स्थान मिला। इस मंत्रिमण्डल में अभी भी मूलतः ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था।

आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गयी। सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। 21 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया, वयस्क मताधिकार लागू होने से वंचित जातियों ने इसे अपने लिये एक बड़े अवसर के रूप में देखा। आजादी के बाद शिक्षा के प्रसार, आर्थिक अवसरों और औद्योगिकीकरण ने जाति व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया, आजादी के बाद कानूनी रूप से जाति का अस्तित्व समाप्त हो गया और जाति से जुड़े अनुष्ठानिक पक्ष कमजोर होने लगे लेकिन संगठन के एक स्रोत के रूप मे जाति का महत्व बना रहा, जाति अब राजनीतिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गयी। काँग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र में जातियों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया, काँग्रेस ने मुख्यतः उच्च जातियों के नेतृत्व और दलित और मुसलमानों के समर्थन से अपनी सरकार बनायी। काँग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर पिछड़ी जातियाँ संगठित हो गयीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, कृषि में तकनीकी परिवर्तन जिसे हरित क्रांति कहा गया, के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नया नेतृत्व विकसित हुआ। जमींदारी उन्मूलन और हरित क्रान्ति से प्रभावित होने वाला मुख्य वर्ग मध्यम कृषक जातियों का था इसमें यादव, कुर्मी और जाट जैसी प्रमुख जातियाँ शामिल हैं इन जातियों की एकजुटता ने जाति पंचायत और जाति संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। काँग्रेस पार्टी में उच्च जातियों के वर्चस्व के कारण पिछड़ी जातियाँ अपनी राजनीतिक आकाँक्षाओं को पूरा करने के लिए गैर काँग्रेसी पार्टियों को समर्थन देने लगी।

लोकतंत्र में समानता के सिद्धाँतों के बाद भी जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गयी और सभी राजनीतिक दलों ने अपने सामाजिक आधार के रूप में जातियों को एकजुट करना प्रारम्भ कर दिया, कानूनी और सवैधानिक रूप से जाति का अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी जाति लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए संगठन का मुख्य स्रोत बन गयी।

सन्दर्भ

- प्रो. विपन चंद्र– आधुनिक भारत का इतिहास– 2009
- Paul Brass- Factional Politics in an Indian State: The Congress Party in Uttar Pradesh 1965
- Paul Brass- language, Religion and Politics in North India 1974
- Paul Brass- Factional Politics in an Indian State: The Congress Party in Uttar Pradesh 1965
- सोशलिस्ट पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र– 1962
- इण्डियन अफेयर्स रेकार्ड VII (अप्रैल 1967)
- Paul Brass-Factional Politics in an Indian State: The Congress Party in Uttar Pradesh 1965

- उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडलों का गठन 1921–1989 प्रकाशक विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- Baljeet Singh- Congress After Independence 1962
- उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडलों का गठन 1921–1989 प्रकाशक विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- Paul Brass- Factional Politics in an Indian State: The Congress Party in Uttar Pradesh 1965
- इण्डियन अफेयर्स रेकार्ड VII (अप्रैल 1967)
- उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडलों का गठन 1921–1989 प्रकाशक विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ